Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to establish an All India Institute of Speech and Hearing in Kanpur Nagar district, Uttar Pradesh.

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (**अकबरपुर**): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन और सरकार का ध्यान देश एवं प्रदेश के लिए दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

महोदय, मूक बधिरों एवं दिव्यांगजनों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था प्रदेश एवं देश में नही है जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता को कोसते एवं लाचारी के कारण बेहतर जिंदगी को तरसते हैं।... (व्यवधान) प्रदेश में दिव्यांगजनों की ऐसी दशा को देखते हुए मैंने माननीय मंत्री जी से आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना कराए जाने हेतु आग्रह किया था।... (व्यवधान) मेरे आग्रह के पूर्व से उक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जनपद कानपुर नगर में 12वीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एण्ड हियरिंग सेण्टर की स्थापना हेतु 20 एकड़ नि:शुल्क भूमि की मांग की गयी थी, जिस पर अपर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम सुरार में 20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी थी।... (व्यवधान) तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर, ने उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ को अवगत कराया किन्तु उक्त प्रकरण में प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये के चलते सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुनः अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुरोध किया, जिस पर कार्यवाही कर तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा भूमि स्थानांतरित किये जाने हेतु स्पष्टीकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 13.03.2018 को अपने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है एवं औपचारिकताओं के सम्बन्ध में उप सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश

शासन द्वारा जिलाधिकारी कानपुर को अपने पत्र दिनांक 30.08.2018 के माध्यम से आदेशित किया था जिस पर जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर एवं रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को अपने पत्र दिनांक 11.01.2019 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है।... (व्यवधान) तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में कार्यवाही अत्यधिक धीमी गति से होने के कारण लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया जिसके चलते उक्त ऑफ कैम्पस सेण्टर की निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण उत्तर प्रदेश के मूक बधिरों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।... (व्यवधान) कुपोषण एवं अन्य परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के मूक-बधिरों की भारी संख्या को देखते हुए केन्द्र की स्थापना की महती आवश्यकता है।... (व्यवधान)

अतः आपसे निवेदन है केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को उक्त संस्थान की स्थापना एवं निर्माण अति शीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश निर्गत करने की कृपा करें जिससे जनहित में मूक बधिरो एव दिव्यांगजनों को राहत मिल सके।... (व्यवधान)